कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0,नैनीताल,उत्तराखण्ड सरकार का प्रतिष्ठान

रोपवे नैनीताल में हॉलेज रोप बदलने, सॉकेटिंग एवं एलाइन्मेंट करने हेतु निविदा के नियम एवं शर्तें

आवेदन फार्म का प्रारूप एवं नियम एवं शर्तेः–

फार्म का विक्रय मूल्य	रू0 3,000(जी0एस0टी0 सहित)
टैण्डर प्रकाशन की तिथि	12 मार्च, 2024 सांय 5.00 बजे
टैण्डर फार्म डाउनलोड करने की प्रारम्भिक तिथि	12 मार्च, 2024 सांय 05.10 बजे
प्री बिड मीटिंग की तिथि	15 मार्च, 2024 अपराहन 1.00 बजे
आन–लाईनबिड अपलोड करने की प्रारम्भिक तिथि	18 मार्च, 2024 प्रातः 10.00 बजे
आन–लाईन बिड अपलोड करने की अन्तिम तिथि	27 मार्च, 2024 अपरान्ह 1.00 बजे
आन–लाईन टैण्डर खोले जाने की तिथि	27 मार्च, 2024 अपरान्ह 2.00 बजे

रोपवे नैनीताल में हॉलेज रोप बदलने, सॉकेटिंग एवं एलाइन्मेंट का कार्य करने हेतु ई–निविदायें आमंत्रित की जाती है । उक्त कार्य से सम्बन्धित विवरण एवं निविदा की नियम व शर्तें निम्नानुसार हैं–

नियम एवं शर्तेः–

1– निविदादाता को उत्तराखण्ड ई–निविदा पोर्टल www.uktenders.gov.in के माध्यम से पोर्टल के नियमों एवं निविदा प्रपत्र की शर्तों के अनुरूप आवेदन किया जाना होगा । ई–निविदा के माध्यम से आवेदन पर हुये समस्त व्यय निविदाकार द्वारा वहन किये जायेंगे।

2– निविदादाता को प्रथम भाग/तकनीकी निविदा की सभी औपचारिकताऐं पूर्ण करनी होगी । प्रथम भाग (तकनीकी निविदा) में मांगी गई औपचारिताऐ पूर्ण न होने पर निविदाकार की निविदा को निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा ऐसी स्थिति में निविदाकार का द्वितीय भाग (वित्तीय निविदा) (Bill of quantity - BOQ) नही खोला जायेगा । जिन निविदादाता की आन–लाईन प्रथम भाग/तकनीकी निविदा स्वीकार कर ली जायेगी उन निविदादाता का द्वितीय भाग/वित्तीय निविदा(BOQ) ई–टैण्डरिंग हेतु गठित समिति द्वारा ऑन–लाईन खोली जायेंगी। उक्त तिथि को अवकाश होने पर अगली कार्य तिथि मानी जायेगी ।

3– निविदाप्रपत्र शुल्क धनराशि रू0 3,000 (जी0एस0टी0 सहित) निगम के रोपवे कार्यालय मल्लीताल, नैनीताल में नकद अथवा एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से जमा की जानी होगी। आन–लाईन भुगतान हेतु निगम के खाते का विवरण निम्नानुसार हैः–

Bank Name- SBI Bank
Branch - Nainital
Account Number- 10860834884
IFSC Code- SBIN0000687

निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र शुल्क जमा की रसीद/ऑनलाइन भुगतान के प्रमाण को स्कैन कर निविदा के तकनीकी भाग के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा एवं आनलाईन बिड अपलोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय से पूर्व निगम मुख्यालय ओक पार्क हाउस, मल्लीताल, नैनीताल में मूल में जमा किया जाना अनिवार्य होगा ।

4– निविदादाता को धरोहर धनराशि के तौर पर रू0 1.00 लाख का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 जो कि प्रबन्ध निदेशक, कु0म0वि0नि0 के नाम बना/बन्धक हो की प्रति को स्कैन कर निविदा के तकनीकी भाग के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा एवं आनलाईन बिड अपलोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय से पूर्व निगम मुख्यालय ओकपार्क हाउस, मल्लीताल, नैनीताल में मूल में जमा किया जाना अनिवार्य होगा । निविदा सफल न होने की दशा में निविदादाता की धरोहर धनराशि 1 माह के भीतर वापस कर दी जायेगी। सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश जारी होने के पश्चात् कार्य शुरू न करने की दशा में निविदादाता की धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा, जिसका भविष्य में कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा । सफल निविदादाता की धरोहर धनराशि को रोपवे संचालन के शुरू होने के 6 माह तक जमानत के तौर पर निगम में जमा किया जाना होगा । एल–1 निविदादाता द्वारा कार्य न करने की दशा में एल–2 निविदादाता को एल–1 निविदादाता द्वारा कोट किये गये निविदा मूल्य में कार्य करने का अवसर दिया जायेगा ।

5– निविदादाता को निविदा की तकनीकी भाग के साथ पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की प्रति को स्कैन कर निविदा के तकनीकी भाग के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

6– निविदादाता को पूर्व में रोप बदलने के अनुभव सम्बन्धी प्रपत्र निविदा के तकनीकी भाग के साथ स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

7– रोप बदलने एवं ट्रायल का कार्य 15 दिन में किया जाना अनिवार्य होगा।

8– निविदादाता को आने–जाने व रहने–खाने आदि खर्चों का वहन स्वयं करना होगा।

9– निविदादाता को कार्य समाप्ति के उपरांत रोपवे, नैनीताल के यात्री संचालन हेतु सुरक्षित होने का प्रमाण पत्र देना होगा।

10– रोप बदलने के पश्चात् निविदादाता द्वारा 3 माह तक रोप एलान्गेशन होने की स्थिति में सॉकेटिंग का कार्य करना अनिवार्य होगा।

11– रोप बदलने के पश्चात् रोपवे का पुनः संचालन होने के 45 दिन के उपरांत स्वीकृत भुगतान किया जायेगा, किन्तु किसी कारणवश भुगतान में विलम्ब होने पर सफल निविदादाता कोई ब्याज या प्रतिकर का अधिकारी नहीं होगा । निगम द्वारा सफल निविदादाता को भुगतान की जाने वाली धनराशि में से निगम लेखा नियमानुसार आयकर व आवश्यक सर्विसचार्ज/कटौती इत्यादि करने के उपरान्त भुगतान करेगा ।

12– सफल निविदादाता द्वारा कार्य सम्पन्न हो जाने के उपरान्त बिलों को आपरेशन मैनेजर रोपवे की संस्तुति सहित सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा प्रमाणित कर प्रबन्ध निदेशक महोदय से भुगतान की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त सफल निविदादाता को भुगतान किया जायेगा ।

13– रोप बदलने के कार्य के दौरान उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों का अच्छी स्थिति मे होना अनिवार्य है । जॉच में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को जुर्माना आरोपित किये जाने का अधिकार होगा ।

14– रोप बदलने के कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति चाहें वह सफल निविदादाता को हो या उनके सामान को हो या किसी स्टाफ या अन्य व्यक्ति को हो, उसके लिये सफल निविदादाता ही पूर्णतया उत्तरदायी होगा और निगम किसी प्रकार का उत्तरदायी नहीं होगा ।

15– यदि सफल निविदादाता/उसके स्टाफ के विरूद्ध लिखित शिकायत प्राप्त होती है तथा निगम द्वारा जॉचोपरान्त सही पायी गयी, तो निगम बिना किसी पूर्व नोटिस के निगम में जमा जमानत की राशि को जब्त करने का अधिकारी होगा और इस स्थिति में सफल निविदादाता निगम से कोई क्षतिपूर्ति पाने या निगम के विरूद्ध अन्य कोइ अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं होगा ।

16– सफल निविदादाता द्वारा रोपवे संचालन की नियमावली के सम्बन्ध में राज्य सरकार या अन्य किसी विधिक प्राधिकारी या निगम द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, नियमों, विनियमों का सफल निविदादाता द्वारा सदैव अनुपालन किया जायेगा । अनुपालन न किये जाने की दशा में बिना किसी पूर्व नोटिस के अनुबन्ध को निरस्त कर जमानत धनराशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार निगम को रहेगा, जिसका भविष्य में सफल निविदादाता का कोई भी क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा ।

17– सफल निविदादाता द्वारा निविदा के नियम एवं शर्तो का उल्लंघन किये जाने एवं दोष सिद्ध हो जाने पर अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो रू0 1.00 लाख तक हो सकता है ।

18– निविदा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी निविदादाता रोपवे, नैनीताल के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है।

19– प्रबन्ध निदेशक, कु0मं0वि0नि0लि0 को बिना कारण बताये टेण्डर को निरस्त करने का अधिकार होगा।

20– निगम तथा सफल निविदादाता के मध्य किसी भी प्रकार के न्यायिक वाद होने की दशा में वाद का न्यायायिक क्षेत्राधिकार नैनीताल होगा ।

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल, उत्तराखण्ड सरकार का प्रतिष्ठान रोपवे नैनीताल में हॉलेज रोप बदलने, सॉकेटिंग एवं एलाइन्मेंट करने हेतु

आवेदनपत्र का प्रारूप

1–आवेदक का नाम .....

2–फर्म का नाम .....

3–स्थायी पता .....

.....

.....

4–मोबाईल नम्बर .....

निविदादाता को निम्न प्रपत्रों को निविदा के तकनीकी भाग के साथ ऑनलाइन स्कैन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा ।

1–पैन कार्ड विवरण (प्रति अपलोड करें) .....

2– जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन विवरण (प्रति अपलोड करें) .....

3–रोप बदलने के कार्य के अनुभव सम्बन्धी प्रपत्र (प्रति अपलोड करें) .....

4–टेण्डर फार्म क्रय की धनराशि का विवरण (प्रति अपलोड करे एवं मूल में निगम में जमा करें) .....

5– धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 का विवरण (प्रति अपलोड करे एवं मूल मे निगम में जमा करें)

6–आवेदन फार्म (प्रति अपलोड करें) .....

क्रम संख्या 4 एवं 5 में उल्लिखित प्रपत्रो को निविदा के तकनीकी भाग के साथ स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किये जाने के साथ आनलाईन बिड अपलोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय से पूर्व निगम मुख्यालय ओक पार्क हाउस, मल्लीताल, नैनीताल में मूल में जमा किया जाना अनिवार्य होगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर